कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

—:: कार्य विभाजन आदेश ::—

कमांक—27/एक—11—1/85 **दमोह दिनांक 10/04/24**

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राप्त प्राधिकारों एवं शक्तियों के प्रयोग में, इस संबंध में पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश/संशोधित आदेशों को अतिष्ठित करते हुये मैं, **अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह**, **(म.प्र.)** सिविल जिला दमोह एवं सत्र खण्ड दमोह के स्थानीय क्षेत्र एवं जिले की तहसीलों में स्थित सिविल, अपर सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच निम्नानुसार कार्य विभाजन (Distribution of Business) लागू करती हूँ :—

क0	न्यायालय	क्षेत्राधिकार का नाम	प्रकरण का प्रकार जिनका विचारण किया जाना है
1	2	3	4
1	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुघ टिना दावा अधिकरण, दमोह**	संपूर्ण सत्र खंड एवं सिविल जिला दमोह	1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 408 तथा 409 के अंतर्गत अंतरण आवेदन। 2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत अंतरण आवेदन। 3. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका /जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार की अन्य निर्वाचन याचिका। 4. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 26 के प्रकरण। 5. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 के अंतर्गत प्रकरण। 6. सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण। 7. सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य अन्य दाण्डिक प्रकरण/दाण्डिक कार्यवाहियां जिनका उल्लेख इस आदेश में अन्यत्र नहीं है। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य अन्य सिविल प्रकरण/कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस आदेश में अन्यत्र नहीं है। 9. **म.प्र. शासन विधि व विधायी कार्य विभाग अधिसूचना दिनांक 05.12.2022 के तारतम्य में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 20 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के अनुसार सिविल जिला दमोह की स्थानीय सीमा अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से संबंधित**

			कार्यवाहियां। 10. रू. 15,00,00,001/— (पन्द्रह करोड एक रू.) से अधिक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। 11. म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां एवं पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र। 12. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 13. धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां। 14. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, दमोह के द्वारा पारित निर्णय व आदेशों से उत्पन्न नियमित तथा विविध अपीलें। 15. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां। 16. धारा 68 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश/निर्णय से उद्भूत समस्त नियमित सिविल अपीलें। 17. इंश्योरेंस अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 18. लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य से बे—दखली) अधिनियम 1974 की धारा 9 से संबंधित मामले। 19. लोकल फण्ड आडिट अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र
		सम्पूर्ण सत्र खंड दमोह—तहसील क्षेत्र हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ को छोड़कर	1. विशेष सत्र न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले सत्र मामलों को छोड़कर समस्त सत्र प्रकरण 2. आपराधिक अपीलें। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. स्वयं के न्यायालय के सत्र प्रकरणो से उद्भूत विविध प्रकरण। 5. जमानत आवेदन (विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर)। 6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त विशेष दांडिक प्रकरण/दाण्डिक कार्यवाहियां। 7. अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य दाण्डिक प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आदेश में अन्यत्र नहीं है। 8. विचाराधीन मामलों से संबंधित विविध आवेदन। 9. विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना

			दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन कमांक ए/1416 दिनांक 02.06.10 के अनुसार औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड क तथा ख, धारा 22 की उपधारा 3, धारा 27 के खंड क तथा ग, धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा धारा 1 के खंड ख के अधीन दंडनीय अपराध से संबंधित मामले। 10. विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 08.12.2017 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रस्तुत होने वाले मामले।
		सम्पूर्ण सिविल जिला दमोह–तहसील क्षेत्र हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ को छोड़कर	1. व्य.प्र.सं. की धारा 96 के अंतर्गत नियमित सिविल अपील। 2. व्य.प्र.सं. की धारा 104 के अंतर्गत विविध सिविल अपील। **3. धारा 166 (2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत थाना–दमोह देहात, नोहटा, जबेरा, पथरिया एवं तेदूखेड़ा से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।** 4. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 (3) के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन। 5. ग्राम न्यायालय से संबंधित सिविल अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियॉ।
2	**श्री शरतचंद्र सक्सेना,** पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय एस.सी,एस.टी (अत्याचार निवारण) अधिनियम दमोह, प्रथम जिला न्यायाधीश दमोह के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण। 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत **समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के तथा अन्य प्रतिभूति आवेदन पत्र (माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो कमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार उन मामलों को छोड़कर जो (POCSO ACT), 2012 एवं SC/ST (POA) Act 1989) दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध है।** 3. स्वयं के न्यायालय के सत्र प्रकरणों/विशेष प्रकरणों से उद्भूत विविध दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
3	**श्री संतोष कुमार गुप्ता,** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला एवं सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. प्रथम जिला न्यायाधीश जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से

			संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां। 3. प्रथम जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां / विविध दांडिक प्रकरण। **4. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 05.05.2009 / 2.05.2013 के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) सागर द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरण व कार्यवाहियां तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र।** 5. मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन कं. बी / 6232 / तीन–6–6 / 84 जबलपुर दिनांक 23.12.2022 में दिये गये दिशा निर्देश के पालन में, कार्यालय विविध आदेश कं. 46 / एक–11–1 / 85 दमोह दिनांक 24 दिसम्बर 2022 के अनुसार सत्र खण्ड दमोह (जिला मुख्यालय दमोह एवं बाह्य स्टेशन पथरिया तथा तेंदूखेड़ा) (तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा) क्षेत्रांतर्गत आने वाले पुलिस थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध अपराध (OAW) यथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं उनसे संबद्ध अन्य अपराध के नवीन सबंधित प्रकरण।"
4	**सुश्री महिमा कछवाहा,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. दमोह तथा अनन्य विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 सत्र खण्ड दमोह	सिविल जिला एवं सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. द्वितीय एवं तृतीय जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां / विविध दाण्डिक प्रकरण। 3. एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य विशेष प्रकरण एवं समस्त प्रकार के आवेदन पत्र। मान्नीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कं. ए / 1812 / (एनडीपीएस) / तीन–6–3 / 89 जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अंतर्गत विशेष प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 4. मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कं. बी / 8830 / तीन–6–4 / 2003 जबलपुर दिनांक 02.12.2023 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 अंतर्गत अनुकमांक 26 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता

			को छोड़कर (हटा का विद्युत क्षेत्र) सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र, तहसील तेंदूखेड़ा एवं पथरिया क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष दांडिक प्रकरण और उनसे सबंधित समस्त प्रकार के परिवाद। 5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क. ए/2727/ तीन–6–5/2010 (एफटीएससीएस) सी.एस.एस. जबलपुर दिनांक 07.04.2024 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, (POCSO ACT) के अंतर्गत सत्र खण्ड दमोह (जिला मुख्यालय दमोह एवं बाह्य स्टेशन पथरिया तथा तेंदूखेड़ा) (तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा) क्षेत्रांतर्गत आने वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई, रिमाण्ड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां विशेष सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम, 2012) की जावेगी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने की दशा में केवल आवश्यक होने पर रिमाण्ड, प्रभारी अति. सत्र न्यायाधीश अथवा रिमाण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिया जा सकेगा, अभियोग पत्र की प्रस्तुति सीधे विशेष न्यायालय में होगी। 6. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क. डी/ 1869/ तीन–6–5/ 10/ तीन–6–6/84 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 के पालन में पॉक्सो अधिनियम के साथ जिन प्रकरणों में एस.सी/एस.टी. की धाराएँ सम्मिलित हैं, जिला मुख्यालय दमोह हेतु विचारण का क्षेत्राधिकार हेतु अधिकृत किया गया है। 7. बालक न्यायालय से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरण के विचारण हेतु सुश्री महिमा कछवाहा, तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह के न्यायालय को मनोनीत किया जाता है। 8. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 फरवरी 2020/विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2020 के अनुसार अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक अधिनियम, 2019 अंतर्गत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य समस्त कार्यवाहियां। 9. मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के पत्र क्र. सी/1844/तीन–6–4/10 जबलपुर दिनांक 23. 04.22 के द्वारा प्रस्तावित एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा. क्रमांक–1405/2021–ब(एक)/2022–राष्ट्रीय

			अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप–धारा (1) के प्रकाश में विभाग की अधिसूचना फा.क्र. बी (1) 3476–2013 दिनांक 11 सितम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई, में संशोधन दिनांक 20.05.2022 होने से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 से संबंधित दमोह सत्र खण्ड के अधिकार में उत्पन्न सभी मामले व कार्यवाहियां।
5	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश,	सिविल जिला एवं सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. तृतीय एवं सप्तम जिला न्यायाधीश जिला दमोह, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।
6	**श्री जितेन्द्र नारायण सिंह,** चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह	सिविल जिला एवं संपूर्ण सत्र खण्ड दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. चतुर्थ जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से सबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से सबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से सबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहिया। 3. धारा 166 (2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **पुलिस थाना तेजगढ़ एवं तारादेही** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण तथा **थाना–दमोह देहात, नोहटा, जबेरा, पथरिया, तेदूखेड़ा एवं तेजगढ व तारादेही से** उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. कं. 1–3, 2004 / 4823 / 2019 / 21–ब(एक) भोपाल दिनांक 14.10.19 के अनुसार, म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण।
7	**श्री राम मनोहर सिंह दांगी,** पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह	सिविल जिला एवं संपूर्ण सत्र खण्ड दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. पंचम जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से सबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से सबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से सबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहिया।

			3. धारा 166 (2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **पुलिस थाना कोतवाली** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण एवं थाना कोतवाली एवं हिण्डोरिया से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. भू–अर्जन अधिनियम 1894 तथा भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास और पुर्नस्थापना अधिनियम 2013 के अंतर्गत मामले।
8	**श्री अनुराग सिंह कुशवाह षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह**	सिविल जिला एवं सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. षष्ठम जिला न्यायाधीश जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां। 3. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना **हिण्डोरिया** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण के निराकरण संबंधी कार्य। 4. सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/विविध दाण्डिक प्रकरण। 5. मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियॉं। 6. रू. 1,00,00,000 (अंकन–एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। (तहसील/राजस्व क्षेत्र दमोह, पथरिया एवं तेदूखेड़ा से सबंधित)
9	**श्रीमती अर्चना सिंह** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा, जिला दमोह	सिविल जिला एवं संपूर्ण सत्र खण्ड, दमोह की राजस्व तहसील हटा, पटेरा, बटियागढ़	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. प्रथम जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से सबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से सबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां। 3. प्रथम जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/विविध दाण्डिक प्रकरण। 4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से सबंधित अपील/पुनरीक्षण।

			5. ग्राम न्यायाधिकारी, हटा, द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम,2008 के अंतर्गत पारित निर्णयों एवं आदेशों से सबंधित अपील/पुनरीक्षण/अन्य आनुसंगिक दाण्डिक कार्यवाहियां। 6. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील हटा स्थित पुलिस थाना–हटा, बटियागढ़, मढियादो, रनेह एवं गैसाबाद से उत्पन्न क्लेम प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 7. स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त जमानत आवेदन पत्र एवं पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढियादो, रनेह एवं गैसाबाद से सबंधित जमानत आवेदन पत्र। पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो, रनेह, गैसाबाद, पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरोन क्षेत्राधिकार अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त जमानत आवेदन पत्र।
			8. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी ज्ञापन क्रं. सी/2955/तीन–6–5/10 दिनांक 28.05.2019 के आलोक में सत्र खण्ड दमोह के बाह्य स्टेशन हटा (तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़) क्षेत्रांर्गत आने वाले पुलिस थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध अपराध (OAW) यथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं उनसे संबंध अन्य अपराध के प्रकरण तथा सत्र खण्ड दमोह के बाह्य स्टेशन हटा (तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़) क्षेत्रांतर्गत आने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आपराधिक मामलों की सुनवाई, रिमाण्ड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां पीठासीन अधिकारी द्वारा की जावेगी। सबंधित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने की दशा में केवल आवश्यक होने पर रिमाण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिया जा सकेगा। पाक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त अभियोग पत्र की प्रस्तुति सीधे सबंधित न्यायालय में होगी।
			9. स्माल–काज कोर्ट द्वारा संज्ञेय रू. 500 से लेकर रू. 1000 तक मूल्यांकन के लघुवाद। 10. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 31 के अंतर्गत अपील। 11. रूपये 1,00,00,000(अंकन–एक करोड़) से अधिक

			मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वादउक्त न्यायालय के सभी प्रकार के सिविल वाद से उत्पन्न विविध सिविल प्रकरण व निष्पादन आवेदन पत्र। (तहसील/राजस्व क्षेत्र हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ से सबंधित)। 12. तत्कालीन श्रृखंला न्यायालय हटा एवं समस्त रिक्त न्यायालय–अति. जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह से सबंधित समस्त क्लेम/सिविल/आपराधिक प्रकरणों से सबंधित मामले एवं क्लेम प्रकरणों से सबंधित विविध प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से सबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यावाहियां। 13. मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रं. 1–3, 2004/4823/2019/21–ब (एक) भोपाल दिनांक 14.10.19 के अनुसार, म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण। 14. सी.पी.सी. की धारा 96 के अंतर्गत नियमित सिविल अपील (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा जिला दमोह के न्यायालय से सबंधित) 15. सी.पी.सी. की धारा 104 के अंतर्गत विविध सिविल अपील (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा जिला दमोह के न्यायालय से सबंधित) 16.मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियां।
10	**श्री सुनील कुमार (जूनियर)** द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा जिला दमोह	सिविल जिला एवं संपूर्ण सत्र खण्ड, दमोह की राजस्व तहसील हटा, पटेरा, बटियागढ़	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण। 2. द्वितीय जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से सबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां। 3. द्वितीय जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/विविध दाण्डिक प्रकरण। 4. भू–अर्जन अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास और पुर्नस्थापना अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकरण। 5. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से सबंधित अपील/पुनरीक्षण। 6. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत

			तहसील हटा स्थित पुलिस थाना–पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरोन से उत्पन्न क्लेम प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 7. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक बी/5676/तीन–6–4/2003 जबलपुर दिनांक 08.08.2023 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 के अंतर्गत तहसील हटा के समस्त पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष दांडिक प्रकरण ओर उनसे संबंधित समस्त प्रकार के परिवाद। 8. स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त प्रकरणों में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र एवं पुलिस थाना पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरोन से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 09. सी.पी.सी. की धारा 96 के अंतर्गत नियमित सिविल अपील (द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा जिला दमोह के न्यायालय से सबंधित) 10. सी.पी.सी. की धारा 104 के अंतर्गत विविध सिविल अपील (द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा जिला दमोह के न्यायालय से सबंधित) 11. हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकार के आवेदन पत्र।
11	**श्री राम सिंह बघेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह**	सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा, जबेरा क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत अपीलें। 3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालनार्थ मामले। 4. ऐसे समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय है और जिनका इस कार्य विभाजन पत्र के अन्यत्र उल्लेख नहीं है।

12	**ग्राम न्यायाधिकारी दमोह**	सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रं. सी/1622/दो–15–18/01(संशोधित) जबलपुर दिनांक 13.04.2022 के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा कार्यवाहियां। 3. दमोह नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर विकासखण्ड दमोह, पथरिया, जबेरा एवं तेंदूखेड़ा जिला दमोह के स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य सिविल प्रकरण (मध्यप्रदेश राज पत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक–2 के अनुसार)। 4. राजस्व तहसील दमोह की जनपद पंचायत दमोह के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य दांडिक प्रकरण (म.प्र. राजपत्र दिनांक 03.07.09 में अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार) 5. ग्राम न्यायालय दमोह द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण साप्ताहिक वाद निष्पादन कार्यवाही में किराया जमा करने और निकालने संबंधी आबंटन तथा अन्य कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयें से प्राप्त होने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही संबंधित कार्य।
13	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के द्वितीय अति. न्यायाधीश	सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. ₹ 5,00,001 से 1,00,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। (तह0 दमोह, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा से संबंधित) 4. जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील जबेरा अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले। 5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उनसे सबंधित समस्त कार्यवाहियां। (धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियों को छोड़कर)

			7. जिला मुख्यालय दमोह क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाहियां। **8. स्मालकॉज कोर्ट द्वारा संज्ञेय रूपये 01 से लेकर रूपये 500 तक मूल्यांकन के लघुवाद।** **9. ग्राम न्यायालय के अत्यावश्यक प्रभार।**
14	**सुश्री दिव्या रामटेके,** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड दमोह	सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पृष्ठाकंन क्रं. बी/3244 जबलपुर दिनांक 29.04.2023 एवं मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रं. 1222–1292608–23–पचास–2भोपाल दिनांक 10 मई 2023 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड दमोह के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार। 4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह के रिक्त न्यायालयों के द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।
15	**सुश्री प्रिया राठी,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड दमोह	सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन पत्र। 2. रूपये 01 से रूपये 2,50,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार–वाद। 3. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें।
16	**सुश्री तसलीम निजामी,** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड दमोह	सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. रूपये 2,50,001 से रूपये 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार–वाद। 3. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें।
17	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा, जिला दमोह एवं न्यायधिकारी ग्राम न्यायालय, हटा, जिला दमोह।	सिविल जिला दमोह की तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतरित प्रकरण ।
		विकासखण्ड	1. राजस्व तहसील हटा की जनपद पंचायत हटा के

		हटा, पटेरा एवं बटियागढ	स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य दांडिक प्रकरण (मध्यप्रदेश राज पत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार) 2. हटा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद पंचायत हटा के स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य सिविल प्रकरण (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक 2 के अनुसार) 3. मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्र. सी/1622/दो–15–18/01(संशोधित) जबलपुर दिनांक 13.04.2022 के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा कार्यवाहियां। 4. जिला मुख्यालय हटा (हटा/पटेरा/बटियागढ़) क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां।
18	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा	सिविल जिला दमोह की तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. ₹ 5,00,001 (पॉच लाख एक) से ₹ 1,00,00,000 (एक करोड़) तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। 4. स्मालकाज कोर्ट द्वारा संज्ञेय ₹ 01 से लेकर ₹ 500 तक मूल्यांकन के लघुवाद। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन। 6. तहसील क्षेत्र हटा/पटेरा/बटियागढ़ अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।
19	**श्री तेज सिंह गौंड़** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा	सिविल जिला दमोह की तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले। 3. रूपये 01 से रूपये 2,50,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार–वाद।
20	**सुश्री देव्यानी सिंह,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ	सिविल जिला दमोह की तहसील हटा,	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।

	खण्ड, हटा	पटेरा एवं बटियागढ	2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. रूपये 2,50,001 से रूपये 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।
21	**श्री राजेन्द्र वर्मन,** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पथरिया	सिविल जिला दमोह की तहसील पथरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. रूपये 01 से रूपये 5.00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद तहसील पथरिया। 4. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपील। 5. न्यायालय द्वारा निराकृत वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक कार्यवाहियों एवं निष्पादन मामले। 6. न्यायालय द्वारा निराकृत वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक कार्यवाहियॉ एवं निष्पादन मामले। 7. तहसील पथरिया क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां। 8. तहसील क्षेत्र पथरिया अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।
22	**श्री पूजित कमल** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, तेंदूखेड़ा	सिविल जिला दमोह की तहसील तेंदूखेड़ा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। 3. रूपये 01 से रूपये 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार–वाद तहसील तेंदूखेड़ा। 4. तहसील तेंदूखेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां। 5. तहसील क्षेत्र तेंदूखेड़ा अंतर्गत अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।

खण्ड (2)

–:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::–

क.	पीठासीन अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह**	**श्री शरतचंद्र सक्सेना,** विशेष न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.	**श्री संतोष गुप्ता प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह**	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा

		अधिनियम, दमोह		विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह
2	**श्री शरतचंद्र सक्सेना,** विशेष न्यायाधीश, अ.जा. / अ.ज.जा. अधिनियम, दमोह	**श्री संतोष कुमार गुप्ता,** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह	**श्री जितेन्द्र नारायण सिंह** चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
3	**श्री संतोष कुमार गुप्ता,** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री जितेन्द्र नारायण सिंह** चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
4	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. अधिनियम, दमोह	**श्री शरतचंद्र सक्सेना,** विशेष न्यायाधीश, अ.जा. / अ.ज.जा. अधिनियम, दमोह	**श्री संतोष कुमार गुप्ता,** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
5	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री संतोष कुमार गुप्ता,** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री शरतचंद्र सक्सेना,** विशेष न्यायाधीश, **अ.जा. / अ.ज.जा. अधिनियम, दमोह**	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह
6	**श्री जितेन्द्र नारायण सिंह** चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री अनुराग सिंह कुशवाह** षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री राममनोहर सिंह दांगी** पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह
7	**श्री राममनोहर सिंह दांगी** पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री जितेन्द्र नारायण सिंह** चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री अनुराग सिंह कुशवाह** षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
8	**श्री अनुराग सिंह कुशवाह** षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री राममनोहर सिंह दांगी** पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री जितेन्द्र नारायण सिंह** चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
9	**श्रीमती अर्चना सिंह** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा, जिला दमोह	**श्री सुनील कुमार (जूनियर)** द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा जिला दमोह	**श्री संतोष कुमार गुप्ता,** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह
10	**श्री सुनील कुमार (जूनियर),** द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा जिला दमोह	**श्रीमती अर्चना सिंह** प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा, जिला दमोह	**श्री अमर गोयल,** सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	**सुश्री महिमा कछवाहा,,** तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. अधिनियम, दमोह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीशगण वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने की अवस्था में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक सिविल कार्य निम्नांकित तालिका में दिये गये कम के अनुसार प्रभारी न्यायाधीश द्वारा संपन्न किया जायेगा, जो नीचे अंकित शर्तों के आधीन होगा :—

क.	पीठासीन अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
11	**श्री राम सिंह बघेल,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा
12	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह	**श्री राम सिंह बघेल,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा
13	**सुश्री दिव्या रामटेके** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह	**सुश्री प्रिया राठी** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री तस्लीम निजामी** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह
14	**सुश्री प्रिया राठी** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री दिव्या रामटेके** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह	**सुश्री तस्लीम निजामी** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह
15	**सुश्री तस्लीम निजामी** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री प्रिया राठी** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री दिव्या रामटेके** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह
16	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हटा, जिला दमोह	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह	**श्री राम सिंह बघेल,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
17	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हटा, जिला दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह	**श्री राम सिंह बघेल,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
18	**श्री तेज सिंह गौंड़** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा	**सुश्री देव्यानी सिंह,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हटा, जिला दमोह

19	**सुश्री देव्यानी सिंह,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा	**श्री तेज सिंह गौंड़** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा	**श्री देवेन्द्र अतुलकर** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हटा, जिला दमोह	**सुश्री दीप्ती ठाकुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा
20	**राजेन्द्र वर्मन,** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पथरिया	**सुश्री प्रिया राठी** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री दिव्या रामटेके** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह
21	**श्री पूजित कमल** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, तेंदूखेड़ा	**सुश्री दिव्या रामटेके** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दमोह	**सुश्री प्रिया राठी** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह	**सुश्री सुनीता रावत,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह

नोटः– व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के क्षेत्राधिकारिता वाले समस्त प्रकरणों की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश दमोह द्वारा की जायेगी एवं उनके अवकाश, टूर, ट्रेनिंग पर रहने पर उनके न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरण का प्रथम प्रभार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह एवं द्वितीय प्रभार चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह पर रहेगा एवं उनके वरिष्ठ खंड के क्षेत्राकारिता वाले समस्त प्रकरणों का प्रभार उपरोक्त तालिका अनुसार रहेगा।

नोट –

1 :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा किसी कारण से उपलब्ध न होने की अवस्था में अत्यावश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी. /एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम) द्वारा संपादित किया जायेगा।

2 :– समस्त प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र (विशेष प्रकरणों एनडीपीएस, एस.सी. /एस.टी., पॉक्सों, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को छोड़कर) निम्न तालिका अनुसार दर्शित पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा निराकृत किये जावेंगे तथा पश्चावर्ती आवेदन पत्र उस न्यायालय में स्वयं अंतरित समझे जायेंगे, जिसके द्वारा पूर्व आवेदन पत्र निराकृत किये गये हैं। न्यायालय रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में, उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी एवं उनके प्रभार वाले न्यायाधीशगण के संबंध में यह कार्य वितरण पत्रक यथावत् लागू होगा। विशेष प्रकरण एनडीपीएस, एस.सी./एस.टी., पॉक्सों, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण खण्ड क. 2 (अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश) में दर्शित प्रभारी अधिकारीगण द्वारा किया जावेगा।

थाना	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
कोतवाली	विशेष न्यायाधीश, अ.ज./अ.ज.जा. अधि.	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह
दमोह	तृतीय जिला एवं	प्रथम जिला एवं अति.	चतुर्थ जिला एवं	सप्तम जिला एवं

देहात	अति. सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह	सत्र न्यायाधीश, दमोह	अति. सत्र न्यायाधीश दमोह	अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
यातायात	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
हिण्डोरिया	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	पंचम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह
सिविल जिला दमोह में वृत्त (अ) एवं (ब) से संबंधित आबकारी अधिनियम	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह
जबेरा	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह	पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
जी.आर.पी. चौकी दमोह	पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
नोहटा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
पथरिया	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
तेदूखेड़ा	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
तेजगढ़	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, एवं	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह

	विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह			
तारादेही	विशेष न्यायाधीश, अ.ज./अ.ज.जा. अधि.	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
महिला थाना जिला दमोह	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह	चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह
वन परिक्षेत्र (तेंदूखेड़ा, तारादेही, झलौन, तेजगढ़, झापन एवं सर्रा)	पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	षष्ठम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह	सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह

3 :— **माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नंबर–सी/2264/III–6–3/90 जबलपुर दिनांक 14.09.2020** के अनुसार विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम) न्यायालय के रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित होने की दशा में उनके न्यायालय को निराकरण हेतु प्राप्त अथवा लंबित आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सत्र खण्ड में उपलब्ध सत्र न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया जावेगा और उन सभी की अनुपस्थिति में जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट, उस उद्देश्य से उस न्यायालय का विशेष न्यायाधीश समझा जावेगा।

4 :— **माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नंबर–सी/2262/III–6–3/89 जबलपुर दिनांक 14.09.2020** के अनुसार विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय के रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित होने की दशा में उनकी न्यायालय को निराकरण हेतु प्राप्त अथवा लंबित आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अति. सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा अथवा अथवा वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशगण अथवा सत्र खण्ड में उपलब्ध सत्र न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया जावेगा और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, उस उद्देश्य से उस न्यायालय का विशेष न्यायाधीश समझा जावेगा।

5 :— विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), दमोह की अनुपस्थिति में सिर्फ उक्त विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक

कार्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी., एस.टी. अ.नि. अधिनियम) द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। यदि विशेष न्यायाधीश (एस.सी., एस.टी. अ.नि. अधिनियम) भी अवकाश पर हों अथवा उनका न्यायालय रिक्त हो, तो ऐसे अत्यावश्यक मामले द्वितीय अपर अति. सत्र न्यायाधीश दमोह द्वारा सुने जायेंगे।

6 :— व्यवहार न्यायाधीश की कार्य व्यवस्था में दमोह जिला मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा एवं यदि जिला मुख्यालय पर कोई भी व्यवहार न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो हटा में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जायेगी। ग्रीष्मकालीन अथवा शीतकालीन अवकाश या दीर्घ अवकाश के दौरान अत्यावश्यक सिविल मामलों की सुनवाई भी इसी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

7 :— किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी यह कार्य वितरण पत्रक यथावत् लागू होगा।

8 :— प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह के अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) दमोह के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत सिविल एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरणों से उद्भूत विविध एवं निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां चतुर्थ जिला न्यायाधीश दमोह द्वारा संपादित की जायेंगी।

9 :— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दमोह के रिक्त न्यायालयों के मामलों से संबंधित समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा संपादित की जायेंगी।

10 :— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह के रिक्त न्यायालयों एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण) दमोह के रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त विविध, सिविल वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियां प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह के द्वारा संपादित की जायेंगी।

11 :— वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह के रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह के द्वारा संपादित की जायेंगी।

12 :— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह के रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त विविध एवं निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह द्वारा संपादित की जायेंगी।

13 :— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पथरिया जिला दमोह के रिक्त न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद एवं निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियां प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह द्वारा संपादित की जायेंगी।

14 :— प्रथम जिला न्यायाधीश दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, तथा (ट्रैनी जज) के न्यायालय रिक्त होने से उनके द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियों के लिए षष्ठम् जिला न्यायाधीश दमोह को प्राधिकृत किया जाता है।

15 :— पूर्व में द्वितीय, जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों एवं क्लेम

प्रकरणों से सबंधित उद्भूत विविध सिविल वाद, निष्पादन कार्यवाहियों, प्रतिकर राशि के भुगतान से सबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियों के लिए षष्ठम जिला न्यायाधीश दमोह को प्राधिकृत किया जाता है।

16 :— जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के स्तर के ऐसे न्यायालयों, जिनका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, ऐसे न्यायालयों से संबंधित सिविल अथवा आपराधिक मामलों के संबंधित विविध कार्यवाहियां अथवा निष्पादन प्रकरण आदि की सुनवाई श्री अमर गोयल, सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दमोह द्वारा की जावेगी।

17 :— जिला रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट दमोह के अवकाश/प्रशिक्षण अवधि में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड दमोह इंचार्ज न्यायाधीश होगे तथा अत्यावश्यक कार्यभार देखेंगे।

18 :— कार्य विभाजन आदेश के खण्ड क्रमांक 2 की तालिका में उल्लेखित तीनों प्रभारी अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में खण्ड क्रमांक–2 की तालिका के आगामी सरल क्रमांक में दर्शित प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादित किया जावेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

स्थान – दमोह
दिनांक– 10/04/24

(हस्ताक्षर) 10/4/24

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह
(मध्यप्रदेश)

पृ.क.–460/एक–11–1/85 **दमोह दिनांक** 10/4/24
आदेशानुसार प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. कार्यालय कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, दमोह/समस्त न्यायालय/अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला, दमोह, प्रस्तुतकार, प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह/कुटुम्ब न्यायालय दमोह/प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/ लेखापाल/कार्यालय लिपिक/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय दमोह, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ram 10/04/2024

कृते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म0प्र0)